

3345



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

पट्टानामा (लीज डीड)

- |                                             |   |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- विलेख पत्र का प्रकार                     | - | पट्टानामा (लीज डीड)                                                                                                                                                      |
| 2- पट्टे की अवधि                            | - | 29 वर्ष                                                                                                                                                                  |
| 3- स्टाम्प शुल्क हेतु मालियत                | - | रु0 3,000/-रुपयें प्रति वर्ष के 6 गुणा से मालियत 18,000/-रुपयें                                                                                                          |
| 4- स्टाम्प शुल्क                            | - | रु0 460 रु0                                                                                                                                                              |
| 5- पट्टे पर दी जाने वाली सम्पत्ति का विवरण- |   | खसरा नम्बर 938 रकबई 0.1316 हैक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात 0.0658 हैक्टेयर अर्थात 658 वर्गमीटर स्थित ग्राम किशनपुर जमालपुर मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार। |
| 6- स्टाम्प शुल्क हेतु मालियत                | - | लीज की अवधि 29 वर्ष निर्धारित है इस कारण जिलाधिकारी                                                                                                                      |

Kamlesh-  
Cupeta.

तहसील कोर्ट, रुडकी

Kamlesh  
Cupeta.रावेंद्र कुमार  
दस्तावेज रखेKamlesh-  
Cupeta.

सं०..... 605 ..... दि० 22/8/12  
स्टाम्प..... 198/..... रुपये..... वारं  
हाथ श्री मोठ ..... मनेन म ..... पुत्र/पत्नी  
निवासी..... को येना

22/8/12

म

महाराष्ट्र सरकार - न्याय विभाग  
सं० 136/8/2012





उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



2

का निर्धारण

द्वारा निर्गत मूल्य सूची के अनुसार लीज पर दी गयी सम्पत्ति पर स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के एक वर्ष के किराये 3000/-रुपये के 6 गुणा की मालियत 18,000/-रुपये पर अदा किया जा रहा है

7- स्वामित्व का आधार

- संक्रमणीय भूमिधर

8- सड़क से दूरी

- राष्ट्रीय राजमार्ग से 2 किमी० दूर तथा मुख्य मार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

9- पट्टे पर दी जाने वाली सम्पत्ति को उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी रुड़की द्वारा वाद संख्या 90/07-08 दलमीर बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 143 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) जमींदारा विनाश अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 20-02-2008 को आवादी प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किया जा चुका है।

Kamlesh Gupta.

नं०..... 605 ..... ति० 22/8/12  
स्टाम्प..... 1881 ..... रुपये..... भारत  
हाथ श्री..... पुत्र/पत्नी  
मियासी..... को बेचा।

महाराष्ट्र अधिनियम - स्टाम्प विवेक  
ला० सं०-386/R/2018, कचहरा रुड़की



*[Handwritten signature]*  
22/8/12



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



3

- 10- प्रयोजन - आवादी प्रयोजनार्थ
- 11- नाम पट्टाकर्ता (प्रथम पक्ष) - श्रीमति कमलेश गुप्ता पत्नी श्री कृष्ण कुमार निवासी सिविल लाईन रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) पैन नम्बर ए जे सी पी जी 4593 के
- 13- नाम पट्टा धारक (द्वितीय पक्ष)- एक्सा पेरेन्टल्स लि० किशनपुर जमालपुर निकट पुहाना चौक ग्राम किशनपुर जमालपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार द्वारा डायरेक्टर मनोज अग्रवाल पुत्र स्व० डा० जगन्नाथ अग्रवाल निवासी 200 सिविल लाईन रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार ( पैन ए ए एम पी ए 2562पी) जिन्हे प्रस्ताव दिनांकित 18-03-2012 के द्वारा अधिकृत किया गया है।

Kamlesh Gupta. 

नं०..... 605 ..... तिथि 22/3/12  
स्टाम्प..... 100/- ..... रुपये ..... वास्ते  
हाथ श्री..... पुत्र/पत्नी  
निवासी..... लो बेवा।

महाराष्ट्र सरकार - खास विक्रेता  
ला० सं० 22/3/12 कानून सचिवी



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

4



यह पट्टा विलेख पत्र (लीज डीड) आज दिनांक 19-03-2012ई० की स्थान रुडकी में श्रीमति कमलेश गुप्ता पत्नी श्री कृष्ण कुमार निवासी सिविल लाईन रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार पट्टाकर्ता/प्रथम पक्ष एवं एक्सा पेरेन्टल्स लि० किशनपुर जमालपुर निकट पुहाना चौक ग्राम किशनपुर जमालपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार द्वारा डायरेक्टर मनोज अग्रवाल पुत्र स्व० डा० जगन्नाथ अग्रवाल निवासी 200 सिविल लाईन रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार पट्टाधारक/द्वितीय पक्ष के मध्य अंकित व हस्ताक्षरित एवं निष्पादित कर पंजीकृत कराया जा रहा है।

यह कि प्रथम पक्ष इस विलेख पत्र में वर्णित सम्पत्ति का एक मात्र संक्रमणीय भूमिधर एवं स्वामी है जो हर प्रकार से पवित्र एवं स्वच्छ है तथा कही रहन व आठ आदि नहीं है और न ही प्रथम पक्ष ने अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति को किसी व्यक्ति, संस्था या कम्पनी को विक्रय किया हुआ है और न ही विक्रय करने का अनुबन्ध मौखिक या लिखित रूप से किया हुआ है और जिसे प्रथम पक्ष के अनुरोध पर उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी रुडकी ने धारा 143 जमींदारा विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया हुआ है और

Kamlesh Gupta.

नं०.....645..... दि० 22/3/12  
 स्थान.....1501..... राप्ते  
 बाध श्री.....पुत्र/पति  
 निवासी.....भी बेचा

महाराष्ट्र आलम - स्वायत्त विवेका  
 ला० सं०-136/2010, कलहरी रुडकी

(महाराष्ट्र) राजकी  
 (महाराष्ट्र) राजकी  
 (महाराष्ट्र) राजकी



(Handwritten signature and text at the bottom of the page)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

5

B 020952

कोषाधिकारी (रुडकी)  
कोड संख्या - 5500

21 MAR 2012

जिसके सम्बन्ध में कहीं पर भी किसी भी न्यायालय में स्वामित्व के सम्बन्ध में या चक परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है और मुझ प्रथम पक्ष का स्वामित्व हर प्रकार से पवित्र एवं स्वच्छ है और मुझ प्रथम पक्ष को हर प्रकार के समस्त अधिकार प्राप्त है।

यह कि द्वितीय पक्ष को अपनी कम्पनी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि की आवश्यकता थी और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष एवं प्रथम पक्ष के मध्य वार्ता हुई तथा वार्ता के बाद प्रथम पक्ष अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति जिसका स्पष्ट विवरण विलेख पत्र के अन्त में दिया गया है को द्वितीय पक्ष को अपनी कम्पनी हेतु देने के लिए तैयार हो गया। प्रथम पक्ष अपनी सम्पत्ति द्वितीय पक्ष को देने के लिए तैयार एवं इच्छुक है इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच वार्ता के बाद प्रथम पक्ष ने अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति को मुबलिग 3,000/-रुपयें तीन हजार रुपयें प्रति वर्ष की दर से पटटे पर दे दिया है और द्वितीय पक्ष ने लेना स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्ध में हम दोनों पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित शरायत तय हुई जिनका पालन हम दोनों पक्षकार एवं उनके उत्तराधिकारीगण करने के लिए पूर्ण रूप से पाबन्द होंगे व रहेगे।

1- यह कि विलेख पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति जिसका एक मात्र स्वामी एवं संक्रमणीय भूमिधर प्रथम पक्ष है और जिसको उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी रुडकी ने अकृषिक प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाना घोषित किया हुआ है तथा जिसका सम्पूर्ण विवरण इस विलेख पत्र के अन्त में दिया गया है, को प्रथम पक्ष ने दिनांक 19-03-2012 से आगामी 29 वर्षों के लिए यानि

Kamlesh Gupta

सं० 645 दि० 22/3/12  
स्थान 54 राप्ते 2 वास्ते  
हाथ श्री / राप्ति  
निवासी / को देया।

महाराष्ट्र - स्वायत्त विभागा  
राज्य 136/R/2010, कवरा 1/1



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

6

16AA 175461

दिनांक 19-03-2041ई0 तक के लिए द्वितीय पक्ष को पट्टे पर दे दिया है तथा द्वितीय पक्ष ने पट्टे पर ले लिया है और प्रथम पक्ष ने निम्न वर्णित सम्पत्ति से अपना कब्जा पूर्ण रूप से हटाकर द्वितीय पक्ष को अपने समान उक्त वर्णित सम्पत्ति पर आरूढ एवं काबिजा करा दिया है।

2- यह कि उक्त पट्टा धारक (द्वितीय पक्ष) को अधिकार होगा कि वह इस पट्टानामा/लीज डीड (अर्थात्) विलेख पत्र के आधार पर बैंक/वित्तीय संस्था, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, वित्तीय संस्था/बैंक व व्यक्ति विशेष से ऋण प्राप्त करे व उसकी अदायगी करे व ऋण की वापसी की समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनों की ही होगी प्रश्नगत सम्पत्ति से भी ऋण बकाया वसूला जा सकेगा।

3- यह कि पट्टा विलेख पत्र के आधार पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, एवं उच्च शिक्षा विभाग चिकित्सा औषधि विभाग, उद्योग विभाग में अपना पंजीकरण कराये, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे तथा राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के समस्त कार्यालयों, विभागों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करे, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे एवं अपना पंजीकरण कराये इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी तथा प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को अपना पूर्ण सहयोग हर प्रकार से प्रदान करेगा।

4- यह कि पट्टा विलेख पत्र के आधार पर द्वितीय पक्ष को अधिकार प्राप्त होगा कि वह पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी।

Kamlesh Gupta -

*(Signature)*

685

22/3/12

101

हाथ

निवासी

वस्ति

गुप्त/पति

पे देखा

R/2010, कृष्ण

R/2010, कृष्ण

Lease

प्रलेख स 3,345 बही 1

Lease(Lease Than 30 years)

प्रतिफल रु0

अग्रिम रु0

रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रतिलिपि शुल्क

इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क

0.00

0.00

360.00

20.00

160.00

कुल योग

शब्द लगभग

540.00

1000

श्री कमलेश गुप्ता  
पुत्र श्री कृष्ण कुमार  
पेशा अन्य  
निवासी सिविल लाईन रुडकी

ने आज दिनांक 22/03/2012 समय 1:49 pm  
को कार्यालय उपनिबन्धक रुडकी(प्रथम)  
मे प्रस्तुत किया

उपनिबन्धक  
रुडकी(प्रथम)

22-Mar-2012



Kamlesh Gupta

कमलेश गुप्ता

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री  
कमलेश गुप्ता w/o कृष्ण कुमार, सिविल लाईन रुडकी।

ने अग्रिम धनराशी रु 0.00

एक्सा पेरेन्टल्स लि.द्वारा मनोज अग्रवाल s/o स्व.डा.जगन्नाथ अग्रवाल, 200 सिविल  
लाईन रुडकी।

को प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया एवं निष्पादन श्री

ने भी स्वीकार किया । जिनकी पहचान

श्रीमती राखी अग्रवाल

पत्नी श्री मनोज कुमार अग्रवाल

निवासी 200 सिविल लाईन रुडकी

श्री विनीत कुमार एडवोकेट

निवासी तहसील कोर्ट रुडकी

ने की।

उपनिबन्धक  
रुडकी(प्रथम)

22-Mar-2012



5- यह कि पट्टा विलेख पत्र के आधार पर द्वितीय पक्ष को अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपने नाम से विधुत विभाग से विधुत कनेक्शन प्राप्त करे तथा उस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी।

6- यह कि पट्टे पर ली गयी सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपनी सुविधा अनुसार अपनी कम्पनी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्माण करे, निर्माण में परिवर्तन करे, सड़क का निर्माण करे एवं उसका पूर्ण रूप से रख रखाव करे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी किये गये निर्माण एवं उसके पर समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा।

7- यह कि पट्टेनामा के आधार पर पट्टे पर ली गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को विधुत सेवा, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी और यदि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो प्रथम पक्ष अपना सहयोग प्रदान करने के लिए पाबन्द रहेगा।

8- यह कि पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति पूर्ण रूप से पवित्र एवं स्वच्छ है तथा कही विक्रय, रहन, व आड आदि नहीं की गयी है और न ही किसी को विक्रय करने का अनुबन्ध पत्र मौखिक या लिखित रूप से किया हुआ है। यदि कोई पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

9- यह कि दौरान अवधि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो करेगा और न करायेगा और न ही उसका कारण बनेगा।

10- यह कि पट्टा विलेख पत्र के निष्पादन से उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश जमींदारा विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम के प्राविधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो रहा है।

11- यह कि पट्टा अवधि 29 वर्ष के लिए निर्धारित है परन्तु दोनों पक्षकार आपसी सहमति से समय अवधि बढ़ा सकते हैं या समय अवधि से पूर्व भी पट्टे को निरस्त कर सकते हैं।

अतः यह पट्टानामा विलेख पत्र दोनों पक्षों ने बिना किसी जोर दबाव के अपनी मन बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ दृष्टि में सोच समझकर स्वच्छा से पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ पढ़कर समझकर लिख दिया तथा अपने-अपने हस्ताक्षर साक्षीगण की उपस्थिति में कर दिये ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण सम्पत्ति जो पट्टे पर दी जा रही है- खसरा नम्बर 938 रकबई 0.1316 हैक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात् 0.0658 हैक्टेयर अर्थात् 658 वर्गमीटर स्थित ग्राम किशनपुर जमालपुर मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार।

Kamlesh Gupta

Uday Singh

Book No. 1

Registration Year 2012

Registration No 3,345



Kamlesh Gupta

कमलेश गुप्ता

Manoj A

एक्सा पेरेंटल्स लि. द्वारा मनोज अ

Rakhee Agarwal

राखी अग्रवाल

Vinay Kumar

विनीत कुमार एडवोकेट



प्रतिज्ञा एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिह्न नियमानुसार लिये गये हैं।

उपनिबन्धक रुड़की(प्रथम)

22-March-2012

प्रथम पक्ष के बाये हाथ की अंगुलियों के निशान:-

अंगुठा

तर्जनी

मध्यमा

## अनामिका

## कनिष्ठिका

प्रथम पक्ष के दाये हाथ के अंगुलियों के निशान-

अंगुठा

तर्जनी

मध्यमा

## अनामिका

कनिष्ठिका

द्वितीय पक्ष के बाये हाथ की अंगुलियों के निशान:-

अंगुठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका

द्वितीय पक्ष के दाये हाथ की अंगुलियों के निशान:-

अंगुठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका

साक्षी

Leah R. R. R.

साक्षी

AB

ਸੀ.ਆਰ. ਗੁਪਤਾ ਅਗਵਾਲ ੫੦ ਅੰਸ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼  
ਅਗਵਾਲ ਨਿਓ 200 (ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ)  
ਸੇਵਾ ਪਰ ਕਰੋ-ਹੈਡ

रविन्द्र कुमार  
दस्तावेज लेखक  
तहसील कोर्ट, रुड़की

तहरीर तारीख- 22-03-2012ई0

इस पट्टा विलेख पत्र का टंकन पक्षकारों के निर्देश पर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर रविन्द्र कुमार क0न0 द्वारा कराया गया है।

Kamlesh Gupta

Weight

पर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत पत्रों के  
दस्तावेज लेखक - राजेश कुमार  
बनारस संख्या. 2118 दिनांक 3/2/2018  
विशेषज्ञ, स्थान कच्छहरी सड़की जिन्ना-बनारस  
ही गई फ़ीड... 10/2/2018  
दस्तावेज लेखक के दस्तावेज



बही नम्बर 1 जिल्द 2,056 पृष्ठ 377 से 392

में नम्बर 3,345 पर आज दिनांक 22-March-2012

में रजिस्ट्री की गयी ।

  
उप निबन्धक  
रुडकी(प्रथम)  
22-March-2012